भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

रक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2108

15 मार्च, 2021 को उत्तर के लिए

भूमि मुद्रीकरण नीति

2108. श्री कुमार केतकर:
श्री राजमणि पटेलः
श्री दिग्विजय सिंहः
श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वैश्विक महामारी के कारण जमीन की कीमतों में कमी के कारण आर्मी की भूमि मुद्रीकरण नीति को स्थगित रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो इसे पुनः शुरू किए जाने की अनुमानित समय-सीमा क्या है;

(ग) क्या महामारी के पूर्व समय में भूमि मुद्रीकरण से प्राप्त राजस्व के मूल्य और वर्तमान परिस्थितियों के तहत अनुमानित राजस्व के मूल्य में अंतर का अनुमान लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो रुपयों में अंतर की मात्रा समेत तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद नाईक)

(क): रक्षा मंत्रालय के दिनांक 02.02.2016 के पत्र के अनुसार, रक्षा भूमि के हस्तांतरण के लिए केंद्र सरकार के विभागों, राज्य सरकारों और इनके द्वारा नियंत्रित संगठनों के साथ-साथ सार्वजनिक अवसंरचना/उपयोगिता परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए स्थानीय निकायों से प्राप्त होने वाले

अनुरोधों पर मेरिट, समान मूल्य की भूमि के विनिमय अथवा, मांगकर्ता प्राधिकरण के भूमि के स्वामित्व वाली एजेंसी न होने और न ही राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के साथ ऐसी कोई व्यवस्था होने के मामले में भूमि के मौजूदा बाजार मूल्य के भुगतान के आधार पर विचार किया जाता है। इस नीति के अनुसार, रक्षा भूमि को सार्वजनिक परियोजना के स्वरूप के आधार पर प्रीमियम और निर्धारित किराए पर पट्टे/लाइसेंस पर भी दिया जा सकता है। इसके अलावा, रक्षा मंत्रालय के दिनांक 21.10.2020 के पत्र के संदर्भ में रक्षा भूमि को रक्षा यूनिटों से संबंधित भूमि के लिए समान मूल्य अवसंरचना के सृजन के लिए भी हस्तांतरित किया जा सकता है।

उपर्युक्त नीति को स्थगित नहीं किया गया है।

(ख): प्रश्न नहीं उठता।

(ग): उपर्युक्त (क) के आलोक में प्रासंगिक नहीं है।

(घ): प्रश्न नहीं उठता।

*****